

21/10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/3819/2010/अलवर मेसर्स वाई.के.डवलपर्स बनाम प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम
<p>14/10/11</p> <p>WR</p> <p>3</p>	<p style="text-align: center;">एकल पीठ श्री आनन्द कुमार सदस्य</p> <p>उपस्थित श्री सुबोध जैन अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>यह निगरानी प्राधिकृत अधिकारी(भूमि पुनर्ग्रहण) नगर विकास न्यास भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 18-5-2010 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 बी खारिज किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी बांध के बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। राज्य सरकार द्वारा 90बी(3) की कार्यवाही की जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और अखबार में 90बी(3) के नोटिस विज्ञप्ति पर किसी की आपति नहीं आई। तहसीलदार तिजारा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई आपति दर्ज नहीं कराई फिर भी प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थी का आवेदन खारिज करने में विधिक भूल की है। चूंकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है इसलिये धारा 9 के तहत मण्डल में निगरानी संधारण योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2009पेज718,636,211 आर आर डी 2005पेज 147, आर आर टी 2009-10पेज 151, आर आर डी 2004पेज 13, आर आर डी 1993पेज 598, आर आर टी 2010(1)पेज 57 की नजीरें पेश की।</p> <p>अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-5-2010की निगरानी मण्डल में संधारण योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में आर बी</p>	

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल आर/3523/2010/अलवर मेसर्स वाई.के.डवलपर्स बनाम प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम
	<p>जे 2010(17)पेज 238,244, आर बी जे 2009(16)पेज 280, आर आर टी 2011(2)पेज 1110 की नजीरें पेश की।</p> <p>हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का बारीकी से अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राधिकृत अधिकारी(भूमि पुनर्ग्रहण) नगर विकास न्यास भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 18-5-2010 के विरुद्ध मण्डल में निगरानी संधारण योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर बी जे 2009(16) पेज 279 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि— No appeal lies befoer the Divisional Commissioner against the order passed under sub section (3) of section 90B.इसी प्रकार आर आर टी 2011(2) पेज 1110 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Board of Revenue have no jurisdiction in the cases against the oredr passed u/sec.90(b).</p> <p>उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल में निगराधीन संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

35
/6

14/1/2011
(आनन्द कुमार)
सदस्य